

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प.7(10)प्राशि/आयो/2024-05208

जयपुर, दिनांक : ई-हस्ताक्षर

—: आदेश :—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.31(1)शिक्षा-4/2015 जयपुर दिनांक 07 सितम्बर, 2016 एवं प.7(1)प्राशि/आयो/2016 जयपुर दिनांक 20.09.2016 के द्वारा D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयों में किया जाना निश्चित किया गया है।

सत्र 2024-25 में राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय/निजी विद्यालय का आवंटन बैठक दिनांक 13.11.2017 के कार्यवाही विवरण प. 7(5)प्राशि/आयो/2017 जयपुर, दिनांक 22.11.2017 के अनुसार करने हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं :-

1.0 सामान्य निर्देश

1.1 D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा जिला स्तर पर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी :-

- | | | |
|------|---|-------------|
| i. | जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा | —समन्वयक |
| ii. | जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा | —सदस्य |
| iii. | प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) | —सदस्य |
| iv. | अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक प्रकोष्ठ
(कार्यालय जि.शि.अ. प्रा.शि. मुख्यालय) | —सदस्य सचिव |

1.2 राजस्थान में संचालित निजी विश्वविद्यालयों हेतु पोर्टल से इंटर्नशिप आवंटन ऐच्छिक रहेगा।

1.3 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। इसी प्रकार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिस पर संबंधित पदेन ग्राम पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) (ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए) एवं सी.आर.सी. (ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए) के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावेगा।

1.4 महाविद्यालयों द्वारा प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप ऐच्छिक रूप से निजी विद्यालयों में करवाई जा सकेगी, जिसकी समस्त सूचनायें शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी लेकिन द्वितीय वर्ष की इंटर्नशिप का आवंटन शाला दर्पण के माध्यम से केवल राजकीय विद्यालयों में ही किया जावेगा।

2.0 इन्टर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन समय निर्धारण

2.1 D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की इन्टर्नशिप राजकीय विद्यालयों में निम्नानुसार चरणों में सम्पादित की जावेगी :-

(i) प्रथम चरण :- माह-अक्टूबर 2024 से इन्टर्नशिप पूर्ण होने तक।

(ii) द्वितीय चरण :- माह-दिसम्बर 2024 से इन्टर्नशिप पूर्ण होने तक।

2.2 D.El.Ed./B.Ed. प्रथम वर्ष, B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. तृतीय वर्ष, B.Ed.M.Ed द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 4 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

2.3 D.El.Ed./B.Ed. द्वितीय वर्ष, B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. चतुर्थ वर्ष, B.Ed.M.Ed तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

3.0 इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों का आवंटन की प्रक्रिया

3.1 जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-

3.1.1 प्रथमतः विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों पर ही इन्टर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालयों का आवंटन किया जायेगा।

3.1.2 जिले में रिक्त पदों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही निम्नानुसार अधिकतम संख्या का निर्धारण किया जायेगा। यदि रिक्त पद भरे बिना आवंटन किया जाता है और इस सम्बन्ध में शिकायत आती है तो प्रशिक्षणार्थी का प्रमाणन नहीं किया जायेगा।

आदर्श विद्यालय एवं स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल/महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)	उत्कृष्ट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	शेष समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय	शेष समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय
15 जून को वरिष्ठ अध्यापको एवं अध्यापको के रिक्त पद+ 03	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+ 04	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+ 03	15 जून को वरिष्ठ अध्यापको एवं अध्यापको के रिक्त पद+ 04	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+ 03

3.2 उपरोक्तानुसार राजकीय विद्यालयों में इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की उपरोक्त संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि (+/-) ऑनलाईन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग हेतु राज्य सरकार के आदेश प.7(05)प्रा.शि./आयो/2017 दि. 04.09.2017 के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक, RCScE जयपुर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

3.3 स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में केवल अंग्रेजी माध्यम अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी ही आवेदन कर सकेंगे इसके लिये सम्बन्धित महाविद्यालय प्रशिक्षणार्थी का माध्यम जांच कर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करेंगे।

3.4 शाला दर्पण पोर्टल पर इंटरनशिप हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

चरण संख्या	इंटरनशिप चरण	इंटरनशिप हेतु आवेदन (Choice Filling) की अवधि	इंटरनशिप हेतु विद्यालय आवंटन	विद्यालय में कार्यग्रहण अवधि	परिवेदना प्रस्तुत एवं निस्तारण अवधि
प्रथम चरण	B.Ed. द्वितीय वर्ष, B.Ed.M.Ed तृतीय वर्ष एवं B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed. चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	5-15 अक्टूबर 2024 तक	15-20 अक्टूबर 2024 के मध्य	विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस तक	विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस के मध्य
	B.Ed. प्रथम वर्ष, D.El.Ed. द्वितीय वर्ष, B.Ed.M.Ed द्वितीय वर्ष एवं B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed. तृतीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	01-10 जनवरी 2025 तक	15-20 जनवरी 2025 के मध्य		
द्वितीय चरण	B.Ed. द्वितीय वर्ष, B.Ed.M.Ed तृतीय वर्ष एवं B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed. चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	01-10 दिसम्बर 2024 तक	11-15 दिसम्बर 2024 के मध्य	विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस तक	विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस के मध्य
	D.El.Ed./B.Ed. प्रथम वर्ष, B.Ed.M.Ed द्वितीय वर्ष एवं B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. तृतीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	01-07 मार्च 2025 तक	08-13 मार्च 2025 के मध्य		

- 3.5 निर्धारित अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को इंटरनशिप हेतु 15 विद्यालयों की वरीयता प्राथमिकता क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी अनिवार्य होगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रविष्ट की गयी प्राथमिकता सूची के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक की अवधि में **“पहले आओ पहले पाओ”** के सिद्धान्त के आधार पर इंटरनशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा। किसी भी विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निर्धारित संख्या से अधिक प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन नहीं किया जावेगा। आवंटन आदेश की प्रति शाला दर्पण की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 3.6 शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिकतम संख्या के अनुसार ही इंटरनशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन किया जावेगा।

- 3.7 इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन आदेश जारी होने के 10 (दस) दिवस के भीतर प्रशिक्षणार्थी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय अपने शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से कार्यमुक्त होकर ही NCTE नॉर्मस के अनुसार आवश्यक पाठ योजना डायरी व अन्य दस्तावेजों सहित उपस्थिति देनी होगी। बिना महाविद्यालय से कार्यमुक्त हुये प्रशिक्षणार्थी को संस्था प्रधान कार्यग्रहण नहीं करवायें एवं विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिवस अनिवार्यतः शालादर्पण पोर्टल पर दर्ज की जावेगी। आवंटित विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा प्रशिक्षणार्थी की प्रतिदिवस शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज की जायेगी।
- 3.8 इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय में संस्थाप्रधान/पीईईओ के निर्देशन में अध्यापन, प्रवेशोत्सव, नो-स्कूल-बैगडे गतिविधि एवं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रल बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इत्यादि विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण गतिविधियों एवं फिल्ड कार्य में भाग लेना अनिवार्य होगा। **विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में** प्रशिक्षणार्थी 03 कालांश विद्यालय में अध्यापन कराने वाले नियमित अध्यापकों की कक्षा में उपस्थित रहकर शिक्षण विधियों का अवलोकन करेंगे। 03 कालांश में नियमित कार्यरत अध्यापकों की देखरेख में अध्यापन कार्य करेंगे एवं शेष 02 कालांशों में विद्यालय अभिलेख संधारण सह-शैक्षिक गतिविधियों का संचालन एवं विभागीय योजनाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- 3.8.1 इंटर्नशिप की समाप्ति पर यह रिपोर्ट प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में प्रस्तुत किये जाने एवं रिपोर्ट से संस्था प्रधान के सन्तुष्ट होने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- 3.9 प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी को अधिकतम 02 दिवस तथा द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 07 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा किन्तु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं की जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को उक्त के अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा। इंटर्नशिप निर्धारित समय सीमा में ही पूरी करना अनिवार्य होगा।
- 3.10 इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिगम, विधियों एवं संकल्पनाओं को समझने का अवसर प्रदान किया जावेगा।
- 3.11 इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अभिभावकों व सामुदायिक इकाईयों से भी सम्पर्क करवाया जावे एवं विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक नवाचारों एवं नो-बैग-डे गतिविधियों में भी सहभागिता सुनिश्चित की जावे।
- 3.12 इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए NCTE के प्रावधानानुसार विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम (इंटर्नशिप) सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 3.13 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) है, और इंटर्नशिप करना चाहता है तो महाविद्यालय को उसकी प्रविष्टि भी शाला दर्पण पोर्टल पर करना होगी तथा उनको विद्यालय आवंटन अन्य प्रशिक्षणार्थियों के साथ ही किया जायेगा।
- 3.14 यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की सूचनाएँ महाविद्यालय के द्वारा नहीं भरी जाती हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।
- 3.15 यदि प्रशिक्षणार्थी को पूर्व में इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटित हो गया, किन्तु किसी भी कारणवश उसने विद्यालय में इंटर्नशिप नहीं की है तो उस प्रशिक्षणार्थी को पुनः विद्यालय आवंटित नहीं होगा किन्तु प्रशिक्षणार्थी के लिखित अनुरोध पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) के द्वारा उसी विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु अनुमति दी जावे, जिसके आधार सम्बन्धित संस्था प्रधान उक्त प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करवायेंगे।

- 3.16 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाता है किन्तु उसका इंटरनशिप हेतु सूचनाये शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं भरी गई तो इंटरनशिप के अंतिम राउंड में सम्बंधित महाविद्यालय को उसकी सूचनाये भरने का मौका भी दिया जावे, जिससे सम्बंधित महाविद्यालय उसकी सूचनाये भरें और शाला दर्पण से उनको विद्यालय आवंटित किया जावे।
- 3.17 सभी प्रशिक्षणार्थियों के लॉगिन पर महाविद्यालयों के द्वारा भरी गई विद्यालय चॉइस को Edit/Delete करने का Option पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाये ताकि प्रशिक्षणार्थी उसको जाँच सकें।
- 3.18 राजकीय बालिका विद्यालयों में केवल छात्रा/महिला अध्यापिकाओं (प्रशिक्षणार्थियों) को ही इंटरनशिप हेतु विद्यालय का आवंटन किया जायेगा।
- 3.19 समस्त शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटरनशिप के समय विद्यालयों में अपने महाविद्यालय की यूनिफार्म में आना अनिवार्य होगा।
- 3.20 निजी विश्वविद्यालय जो D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. & B.Ed.M.Ed में प्रवेश अपने स्तर पर लेते हैं, उन प्रशिक्षणार्थियों का इंटरनशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 30 सितम्बर तक आवश्यक रूप से होगा।

4.0 इंटरनशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों के आवंटन के बाद प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण

- 4.1 उपर्युक्त सभी चरणों में इंटरनशिप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने के पश्चात इस सम्बन्ध में प्राप्त परिवेदनाओं पर निर्णय करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

राज्य स्तरीय समिति:-

1	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, RCScE, जयपुर	अध्यक्ष
2	उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)	सदस्य
3	उपायुक्त-तृतीय, RCScE, जयपुर	सदस्य
4	वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, RCScE, जयपुर	सदस्य
5	अनुसंधान अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)	सदस्य
6	इंटरनशिप प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ-शिक्षा संकुल जयपुर	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति:-

1	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
3	प्रधानाचार्य, डार्ट	सदस्य
4	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी/अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. प्रथम	सदस्य सचिव

- 4.2 राजकीय विद्यालयों के आवंटन करने के सम्बन्ध में प्राप्त परिवेदनाओं पर राज्य/जिला स्तरीय समिति द्वारा गुणावगुण के आधार निम्न वरीयता अनुसार निर्णय किया जाकर रिक्त पदों पर अंतर्जिला विद्यालय परिवर्तन इंटरनशिप प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ-जयपुर द्वारा एवं जिले में ही अंतर्विद्यालय संशोधन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. के द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से किया जावेगा। परिवेदना पर निम्न क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जावे :-

- i. पारस्परिक आधार पर।
- ii. दिव्यांग।
- iii. गर्भवती/03 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिलाएं।
- iv. समस्त महिलाएं, जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है।
- v. समस्त पुरुष प्रशिक्षणार्थी, जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है।
- vi. विशेष विद्यालयों में नियुक्त प्रशिक्षणार्थी को सामान्य विद्यालय उनकी परिवेदना के आधार पर आवंटित किये जावें।
- vii. उर्दू/पंजाबी/सिंधी/गुजराती विषय के प्रशिक्षणार्थियों को जिन विद्यालयों में सम्बन्धित विषय संचालित है, वे ही विद्यालय आवंटित किये जावें।

- 4.3 वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), NIC, RCScE जयपुर द्वारा सभी चरणों में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किये जाने के पश्चात परिवेदनाओं के आधार पर इंटरनशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को ऑनलाईन विद्यालय आवंटन मॉड्यूल पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों के अधिकतम संख्या के अनुसार अब शेष रिक्त सीटों वाले विद्यालयों को पब्लिक पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 4.4 राज्य एवं जिला स्तर पर प्राप्त परिवेदनाओं का राज्य एवं जिला स्तर पर गठित समिति के अनुमोदन पश्चात् उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों की परिवेदनाओं का केवल एक बार पद रिक्त होने की स्थिति में ऑनलाईन निस्तारण किया जावे।
- 4.5 प्राप्त समस्त परिवेदनाओं को निस्तारण निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से करवाया जावे।

(संजय माथुर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी-राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक (समस्त)।
9. सम्बन्धित समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/विद्यालय।
10. सम्बन्धित सदस्य(राज्य/जिला स्तरीय परिवेदना समिति)।
11. समस्त राजकीय विद्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Document certified by SANJAY KUMAR
MATHUR <JSESEC@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by Sanjay Kumar
Mathur
Designation: Deputy Secretary To
Government

Date: 20-09-2024 12:35:07